भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1946
दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पशुओं की प्रजाति

1946. श्री अमरा राम:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) राजस्थान में उन्नत प्रजाति के पशुधन के विकास के लिए क्या परियोजना है; और

(ग) राजस्थान में भेड़, बकरी एवं ऊंट पालन के लिए कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) पशुपालन और डेयरी का विकास राज्य का विषय है। पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार नस्ल सुधार, गोपशु, भैंस, ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, गधे और घोड़े के आनुवंशिक उन्नयन और नस्ल संरक्षण; क्षमता निर्माण और किसान प्रशिक्षण; आहार और चारा विकास; डेयरी और मांस के लिए प्रसंस्करण अवसरंचना के विकास; पशु आहार संयंत्र, अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन, नस्ल वृद्धि फार्म, पशु चिकित्सा दवा और टीका अवसरंचना के साथ-साथ डेयरी प्रसंस्करण अवसरंचना के माध्यम से सतत पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना, नामत: राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), अवसरंचना विकास निधि लागू कर रहा है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य सतत पशुपालन हेतु राज्य सरकारों और अन्य पात्र लाभार्थियों के प्रयासों को संपूरित करना है।

(ख) और (ग) भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन मिशन को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत पशुधन नस्लों का विकास किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को योजना के दिशा-निर्देशों और उनकी मांग के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। योजनाओं के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

(1) **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम):** राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में गोपशु और भैंस की नस्लों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं।

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देसी नस्लों सहित बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार कर रहा है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 8.39 करोड़ पशुओं को कवर करने के साथ 12.34 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 5.21 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है जिसमें राजस्थान से 54.79 लाख पशुओं को शामिल किया गया, 70.46 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है तथा 39.03 लाख किसानों को लाभ मिला।

(ii) देसी नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उत्पादन के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग संतति परीक्षण एवं नस्ल चयन कार्यक्रम लागू कर रहा है। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण लागू किया जा रहा है। नस्ल चयन कार्यक्रम के तहत राठी, थारपारकर, हरियाना, कांकरेज नस्ल के गोपशुओं और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसों को शामिल किया गया है। अत: 4122 उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का उत्पादन किया जा चुका है और उन्हें वीर्य उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। राजस्थान में साहीवाल नस्ल के गोपशुओं के लिए संतति परीक्षण और राठी और थारपारकर नस्ल के गोपशओं के लिए नस्ल चयन लागू किया जा रहा है। इससे राज्य उन्नत नस्ल विकसित कर सकेगा।

(iii) पशुपालन और डेयरी विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित 5 सरकारी वीर्य केंद्रों पर सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त तीन निजी वीर्य केंद्र सक्रिय रूप से सेक्स सॉर्टेड वीर्य खुराक का उत्पादन कर रहे हैं। राजस्थान की स्थानीय गिर और थारपारकर नस्ल के गोपशुओं सहित प्रमुख गोपशु नस्लों के लिए यह खुराकें उपलब्ध है।

(iv) सेक्स सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50% तक सुनिश्चित गर्भधारण के लिए सहायता मिलती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान को निधि जारी की गई है।

(v) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के श्रेष्ठ पशुओं के प्रजनन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। एक ही पीढ़ी में बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा, किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आईवीएफ मीडिया की शुरुआत की है। बोबाईन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) जीनोमिक चयन: गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तीव्रता के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित की हैं - देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप- जो विशेष रूप से देश में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

(vii) ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): इस योजना के तहत मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है, जिनमें राजस्थान में स्थापित 1316 मैत्री शामिल हैं।

(2) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):** राजस्थान सहित भारत में भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, ऊँट, गधा घोड़ा, खच्चर के विकास के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू किया गया है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पशुपालन और डेयरी विभाग राजस्थान सरकार सहित राज्यों को उनकी मांग के अनुसार सहायता प्रदान कर रहा है। भेड़, बकरी और ऊँट की नस्ल के विकास के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाते हैं:

(क) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन में भेड़, बकरी और पोल्ट्री के नस्ल विकास के संबंध में निम्नलिखित कार्यकलाप हैं:

(i) छोटे रूमिनेंटस के क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना:

व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को न्यूनतम 100 मादा और 10 नर तथा अधिकतम 500 मादा और 25 नर के साथ भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित करने के लिए 50.00 लाख रुपये तक 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भेंड और बकरी फार्म के लिए 125 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी परियोजना लागत 73.36 करोड़ रुपये है और सब्सिडी राशि 32.13 करोड़ रुपये है।

(ख) भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार: निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

(i) भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और वीर्य बैंक की स्थापना: भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन की स्थापना के लिए पात्र संबंधित राज्य को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 400.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) राज्य वीर्य बैंक की स्थापना: बकरी के हिमित वीर्य को संग्रहीत करने और वितरित करने के लिए मौजूदा गोपशु और भैंस वीर्य बैंक को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार:

प्रत्येक गोपशु कृत्रिम गर्भाधान (एआई) केंद्र के लिए 7000/- रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है, ताकि गोपशु कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को बकरी कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के रूप में उन्नत करने हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद की जा सके। इस पहल का उद्देश्य बकरी के हिमित वीर्य का प्रसार करने में सहायता करना है। राजस्थान राज्य में बकरी में कृत्रिम गर्भाधान के घटक के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 57 लाख रुपये के आवंटन को स्वीकृति दी गई है।

(iv) विदेशी भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म का आयात: नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्य पशुपालन विभाग को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) (i) घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊँट के लिए उद्यमियों की स्थापना: व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 50.00 लाख रु. तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऊँट के लिए उद्यमिता को हाल ही में शुरू किया गया है और कार्यक्रम के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट का आनुवंशिक सुधार:

(क) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन: देसी घोड़े, गधे, खच्चर और ऊँट के लिए वीर्य स्टेशन की स्थापना हेतु राज्य सरकार को 10 करोड़ रु. तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) घोड़ा/गधा/ऊँट जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए न्यूक्लियस प्रजनन फार्म: पशुओं के इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण के लिए घोड़े, ऊँट, गधे के साथ-साथ श्रेष्ठ पशुओं के लिए न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 10 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) नस्ल पंजीकरण सोसायटी: घोड़े, ऊँट और गधे के लिए नस्ल पंजीकरण सोसायटी की स्थापना हेतु 100% सहायता प्रदान की जाती है।

*****